पी.टी.ई.टी. एवं 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड प्री बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. 2018
काउंसलिंग हेतु सूचना
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र.एफ ( )/पी.टी.ई.टी./मदसविवि/2018/503 दिनांकः 19.06.2018

विस्तृत विज्ञप्ति (विज्ञप्ति सं 05)

प्री टीचर एज्युकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी. 2018) एवं प्री. बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा परिणाम दिनांक 06 जून, 2018 को जारी किया जा चुका है। परिणाम वैबसाईट www.ptetmdsu2018.com पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के परिणाम की सूचना व्यक्तिशः या डाक द्वारा नहीं दी गई है। दोनों परीक्षाओं की अंकतालिका वैबसाईट पर उपलब्ध है, जहाँ से अभ्यर्थी अंकतालिका का प्रिन्ट ले सकते हैं। अंकतालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच ले कि उसके डाटा सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व सूचित कर अपना डाटा सही करवा ले। **काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् अभ्यर्थी के डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।**

पी.टी.ई.टी. एवं प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड. में प्रविष्ठ सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। **दोनों पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी चाहे इस टेस्ट में उसने कितने ही अंक प्राप्त किये हैं वह रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है।** यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा दिये गये विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी, परीक्षा में प्राप्तांक, शिक्षण विषयों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मैरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। **अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (choices) में अधिकतम विकल्प दें। महाविद्यालय विकल्प (choices) देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन (choices) भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। बी.एड. पाठ्यक्रम एवं बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑफ कैम्पस ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगाः—**

विवरण	दिनांक एवं समय
ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000/— ऑनलाईन अथवा बैंक में जमा करवाना	20.06.2018 से 05.07.2018 तक
महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाईन विकल्प भरना	26.06.2018 से 06.07.2018 तक
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय की सूचना	08.07.2018
प्रवेश हेतु शेष शुल्क रू. 22000/— (अन्तरिम शुल्क 2018—19) बैंक में जमा करवाना	09.07.2018 से 13.07.2018
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग	09.07.2018 से 14.07.2018 तक
अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु ऑनलाईन आवेदन	15.07.2018 से 16.07.2018 तक
अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् महाविद्यालय आवंटन एवं अनआवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना	17.07.2018
अपवर्ड मूवमेन्ट पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग	18.07.2018 से 20.07.2018

जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
रजिस्ट्रेशन शुल्क **रू. 5000/—** उपरोक्त वर्णित तिथियों में ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से अथवा बैंक समयावधि में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की शाखा में चालान द्वारा जमा किया जायेगा।

धौलपुर जिले के अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्राप्त चालान की राशि रू 5000/– ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से व शेष राशि रू. 22000/– का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट समन्वयक, पी.टी.ई.टी.–2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम अजमेर में देय हो (Coordinator, PTET-2018, Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer (Payable at Ajmer) को प्राचार्य कन्या महाविद्यालय, धौलपुर में बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को मूल बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त वर्णित कॉलम ''ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना'' में अंकित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है। बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के पश्चात् निर्धारित कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन काउंसलिग हेतु अपने विकल्प ऑनलाईन दे सकते है।)

अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अगर हर दृष्टि से पात्र है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात् जनरेट हुए बैंक चालान को मुद्रित कर आई.सी.आई.सी.आई बैंक की किसी भी शाखा में बैंक कार्यदिवसों में निर्धारित समयावधि के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क रू. 5000/– नकद जमा करवाकर अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू. 5000/– ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करवाकर तय कार्यक्रमानुसार कांउसलिंग में भाग लें। रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे अथवा आई.सी. आई.सी.आई. बैंक के चालान के माध्यम से बैंक शाखा में नकद जमा करवा सकेगा। पंजीयन राशि सीधे पीटीईटी 2018 कार्यालय में रोकड़, बैंक ड्राफ्ट/चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर इत्यादि के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी।

अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि रूपये 5000/– राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क राशि में समायोजित की जावेगी तथा यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि रूपये 5000/– में से रूपये 600/– काटकर शेष राशि रूपये 4400/– एवं शेष राशि 22000/– जो अभ्यर्थी ने प्रवेश हेतु जमा करवाई है उसे अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

यदि किसी अभ्यर्थी को सीटों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से प्रवेश हेतु महाविद्यालय आंवटित नहीं होता है तो उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि रूपये 5000/– में से रू. 200/– अन्य व्यय के काटकर, शेष राशि रूपये 4800/– प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होते हुए भी पात्रता संबंधी गलत सूचना के आधार पर काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के रूप में जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

अभ्यर्थी ध्यान दें कि सफल अभ्यर्थी के निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से अथवा अधिकृत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की शाखाओं में शुल्क जमा नहीं करवाने या काउंसलिंग में भाग नहीं लेने की स्थिति में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा।

अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि वैब साईट पर उपलब्ध **'सामान्य दिशा निर्देश पुस्तिका के अनुसार** बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपनी **पात्रता की स्वयं जांच करें** तथा सभी दृष्टिकोण से प्रवेश हेतु पात्र हों तो ही काउंसलिंग में भाग लें। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा जो उनके लिए लागू हों, में इस वर्ष बैठे अभ्यर्थी ध्यान दें कि उनकी पात्रता परीक्षा का परिणाम उनकी श्रेणी हेतु वांछित प्राप्तांक प्रतिशत सहित आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की तिथि तक आ चुका हो तथा इसमें इस तिथि तक पात्रता नहीं रखते हैं तो वे अपनी पात्रता खो देंगे। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होते हुए भी अभ्यर्थी किसी प्रकार की काउंसलिंग में भाग लेकर यदि प्रवेश प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी की अपात्रता का किसी भी स्तर पर पता लगने पर इस कार्यालय/ सम्बंधित महाविद्यालय/ सम्बंधित विश्वविद्यालय को उसके अस्थाई प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसके

द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि जब्त कर ली जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।

महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शनः

ऑफ कैम्पस ऑन–लाईन काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन देने के लिए महाविद्यालयों की सूची एवं अन्य सम्बंधित सूचनाएं वैबसाईट www.ptetmdsu2018.com, पर उपलब्ध होगी। निर्धारित तिथि तक अपना रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थी निम्न प्रकार से ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।

उपर्युक्त समयावधि में अभ्यर्थी किसी भी इन्टरनेट केन्द्र या अपनी सुविधानुसार स्थान से वैबसाईट पर उनकी श्रेणी/संकाय/शिक्षण विषयानुसार मिल सकने वाले महाविद्यालयों के लिए विकल्प ऑनलाईन दें। अभ्यर्थियों की सहायतार्थ महाविद्यालयों में भी ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु निःशुल्क हैल्प सेन्टर स्थापित किये गये हैं जहां पर वे निःशुल्क पंजीकरण एवं ऑनलाईन काउंसलिंग कर सकते हैं।

काउंसलिंग हेतु चरणः–

1. काउंसलिंग हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी सर्वप्रथम वैबसाईट पर उपलब्ध महाविद्यालयों की सूची का अवलोकन कर अपनी वरियतानुसार चाहे गये महाविद्यालय चिन्हित कर लें।
2. चयन हेतु महाविद्यालयों के विकल्प (**choices**) की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थी अपनी वरियतानुसार उपलब्ध महाविद्यालयों में से जितने चाहे महाविद्यालयों के विकल्प ऑनलाईन भर सकता है।
3. महाविद्यालयों के विकल्प के पश्चात् जिलों के चयन (**District Choice**) का भी विकल्प उपलब्ध है। अभ्यर्थी चाहे तो जिलों के विकल्प भी वरियतानुसार भर सकता है। इससे अभिप्राय है कि सर्वप्रथम तो आप द्वारा दिये गये महाविद्यालयों में आपका प्रवेश देखा जाता है। आप द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्पों में से किसी भी महाविद्यालय हेतु आपका चयन नहीं होने पर आप द्वारा चयन किये गये जिले के विकल्पों में वरियतानुसार आपका प्रवेश देख कर महाविद्यालय आवंटित किया जाता है।
4. जिलों के विकल्प के पश्चात् राजस्थान में कहीं भी (**Anywhere in Rajasthan**) का विकल्प उपलब्ध है। इसका अभीप्राय यह है आप द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्पों एवं जिलों के विकल्पों में भी आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं होने राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में रिक्त स्थान देखकर आपके प्राप्तांक एवं वरियतानुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाता है।

नोटः– उच्च वरियता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा सीमित महाविद्यालयों के विकल्प चयन करने के कारण वांछित महाविद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है जबकि कम वरियता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों के अधिक विकल्प देने के कारण महाविद्यालय आवंटित हो जाता है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सोच समझ कर अधिक से अधिक महाविद्यालयों का विकल्प दें।

5. सीमित विकल्प देने पर अभ्यर्थी को मैरिट अनुसार अगर इच्छित महाविद्यालय का आवंटन करना संभव नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश का अधिकार खो देगें। अतः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय चयन हेतु ज्यादा से ज्यादा विकल्प दें।

अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर या अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् महाविद्यालय आवंटित होने के पश्चात् किसी भी स्तर पर उसके महाविद्यालय को

परिवर्तित/पारस्परिक स्थानान्तरण/स्थानान्तरण (College Change/ College Transfer/ Mutual College Transfer) किसी भी स्थिति में पीटीईटी कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अपने विकल्प पूर्ण रूप से सोच समझकर ही दें तथा अपने द्वारा दिये गये विकल्पों को अच्छी तरह से जाँच करने के पश्चात् ही लॉक करें। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी गलती होने का हवाला जैसे कि साईबर कैफे वाले ने गलत भर दिया, ई–मित्र कियोस्क वाले ने गलत भर दिया आदि स्वीकार्य नहीं होगा। दिये गये विकल्पों को लॉक करने के पश्चात् एक प्रिन्टआउट अपने पास सुरक्षित रख लें।

महाविद्यालय के स्थानान्तरण के संबंध में कोई भी पत्राचार, ईमेल, दूरभाष आदि पर सम्पर्क न करें।

यदि महाविद्यालय ऑप्शन देने के बाद अभ्यर्थी इसे लॉक करना चाहे तो उपर्युक्त समयावधि में लॉक कर सकता है अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प स्वतः ही लॉक हो जायेंगे।

जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में शुल्क जमा करवाने के पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने में असमर्थ रहेंगे उन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा महाविद्यालयों के अधिक से अधिक विकल्प भरे जायें ताकि उनके द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन हो सके। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा जिलों के विकल्प आवश्यक रूप से भरे जायें ताकि महाविद्यालयों के विकल्पों के आधार पर महाविद्यालय आवंटन नहीं होने की स्थिति में उनको इच्छित जिले में महाविद्यालय आवंटित किया जा सके।

अभ्यर्थी इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि महाविद्यालय के अधिक से अधिक विकल्प व जिला विकल्पों के अतिरिक्त कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को एनिवेयर इन राजस्थान के विकल्प का भी चयन आवश्यक रूप से करें। ताकि उनको उनके वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी व प्राप्तांकों के आधार पर राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय का आवंटन किया जा सके।

<u>अपवर्ड मूवमेन्टः–</u>

आवंटित महाविद्यालय में नॉन–रिपोर्टिंग के कारण यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो कॉउन्सिलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी अर्थात् जिन्होंने निर्धारित तिथी तक आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित तिथी तक ऑनलाईन उपलब्ध सुविधा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन देते हैं तो उनको उनके द्वारा पूर्व में महाविद्यालय चयन हेतु दिये गये वरीयताक्रम ऑप्शन अनुसार तथा मेरिट अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त स्थान पर अपवर्ड मूवमेन्ट किया जायेगा। ध्यान रहे इस सुविधा हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित समयावधि तक आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दी हो तथा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित तिथी तक अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन ऑनलाईन दिया हो।

<u>विशेषः–</u> अपवर्ड मूवमेन्ट में अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय के पूर्व के विकल्पों में रिक्त सीट होने पर मेरिट के आधार पर ही महाविद्यालय अपवर्ड किया जाता है।

अपवर्ड मूवमेन्ट प्रक्रिया के तहत यदि किसी अभ्यर्थी को नवीन महाविद्यालय आवंटित होता है तो उसे निर्धारित दिनांक तक नवीन आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि अभ्यर्थी नवीन आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी अपने प्रवेश के अधिकार को खो देगा।

अभ्यर्थियों द्वारा सत्र 2018–19 हेतु कुल राशि रू. 27000/– दो चरणों में जमा करवानी होगी जिसमें 5000/– रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा शेष राशि रू. 22000/– होगी। कुल राशि 27000/– का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

[(अन्तरिम शुल्क 2018–19) जिसमें कि 17880/– रू. शिक्षण शुल्क, 4440/– विविध शुल्क 960/– रू., अन्य गतिविधियाँ शुल्क 3600/– तथा 120/– बीमा राशि]

समस्त बी.एड. महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन काउंसलिंग में सहायता हेतु पिछले वर्षों की भाँति हैल्प लाईन सेन्टर स्थापित करें।

दूरभाषः 0145–2787083

प्रो. बी.पी. सारस्वत
समन्वयक